तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/25	पत्रावली प्राप्त कार्यवाही प्रार्थनापत्र 01 R10 व धारा 151 CPC प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी अधिवक्तागण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 01 R10 व धारा 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हस्तगत वाद में वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण पूर्व में हुए मौखिक विभाजन अनुसार अपने-2 हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं। तथा प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान करने व उक्त भूमि प्रयोग करने पर आमादा हैं। वाद में वादीगण द्वारा राकेश नागर को प्रतिवादीगण का प्रतिनिधि बनाकर भूमि क्रेता बनाया है। इस कारण समस्त वाद में क्रेता राकेश नागर, महावीर सुमन चन्द्र प्रकाश अलवेदा आवश्यक पक्षकार हैं अतः उनको प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादी (प्रतिपक्षीगण) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही पक्षकार बनाये जा सकते हैं तथा उन्हीं के मध्य बँटवारा किया जाना सम्भव है, इस कारण किसी भी ऐसे व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है। वादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थनापत्र में अंकित राकेश नागर, महावीर सुमन एवं चन्द्र प्रकाश अग्रवाल का नाम ना तो वादग्रस्त कृषि आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित है और ना ही उपरोक्त वर्णित तीनों व्यक्तियों का वादग्रस्त कृषि आराजी में किसी भी प्रकार का कोई हित निहित है। इस कारण हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना विधि विरुद्ध होने से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RTA बाबत बँटवारा एवं घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। हमारे विनम्र मत में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह कथन न्यायोचित है कि बँटवारे के प्रकरण में उन्हीं पक्षकारों को समाहित किया जा सकता है, जिनका नाम कृषि आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित हो या कृषि आराजी में कोई हित निहित हो। प्रतिवादी प्रार्थीगण इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि राजेन्द्र नागर, महावीर सुमन व चन्द्रप्रकाश अप्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार का कोई हित निहित हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	परिणामतः प्रतिवादी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O1 R10 व धारा 151 CPC अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही 16/01/25 को पेश हो। [signature] 09/01/25